20रु. कोर्ट फीस Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

154

न्यायालय :— माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

नि -581- III-16

प्र.क. /2016 निगरानी

1. उत्तम पुत्र सूवालाल सोनी
2. विनोद पुत्र परमानन्द सोनी
3. चरना पुत्र परमानन्द सोनी

निवासीगण— ग्राम आमोलपठा तह. करैरा जिला शिवपुरी म.प्र.

.............आवेदकगण

बनाम

सामलिया पुत्र बुद्धा गडरिया

निवासी — ग्राम आमोलपठा तह. करैरा जिला शिवपुरी म.प्र.

...............अनावेदक

श्री ... द्वारा आज दि. 17-2-16 प्रस्तुत

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

50

<u>निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 न्यायालय तहसीलदार करैरा जिला शिवपुरी के प्र.क. 45/अ–70/15–16 में पारित निर्णय दिनांक 08.01.2016 के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत।</u>

17-2-16

माननीय न्यायालय,

आवेदकगण की ओर से निगरानी निम्न प्रकार पेश है :—

<u>निगरानी के तथ्य</u> :—

1. यह कि, उक्त निगरानी को प्रभावित करने वाले तथ्य इस प्रकार है कि, आमोलपठा तह. करैरा के सर्वे क. 2072 रकवा 0.72 हे. के संबंध में अनावेदक द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा 250 की कार्यवाही किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पत्र पर से प्रकरण 45/अ–70/15–16 पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण में विधिवत कोई कार्यवाही नहीं की गई और नाही अनावेदक द्वारा प्रकरण से संबंधित कोई सीमांकन कराया है। यदि कराया है तो आवेदकगण को उक्त प्रकरण, में कोई सूचना पत्र व्यक्तिगत रूप से नहीं दिया गया है और साक्ष्य व सुनवाई का कभी कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है जबकि, इससे संबंधित प्रकरण अपीलीय न्यायालय अनु.वि.अधि. करैरा के समक्ष लंबित है फिर आवेदकगण के विरुद्ध संहिता की धारा 250 की कार्यवाही प्रथक से नहीं की जा सकती है जबतक कि, वरिष्ठ न्यायालय से उक्त अपील का

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी 581–तीन/2016 जिला– शिवपुरी

	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा कों आदि के हस्ताक्षर
25.2.19	आवेदक के अधिवक्ता श्री एस0 पी0 धाकड़ उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार करैरा जिला शिवपुरी के प्रकरण कमांक 45/अ–70/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 08.01.16 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:– धारा–50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन– (ख) इस संहिता के अधीन निगरानी में पारित किसी अंतिम आदेश के विरूद्व ग्रहण नहीं किया जावेगा। 3–परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नही होने के कारण प्रकरण अनुविभागीय आधिकारी करैरा जिला शिवपुरी के न्यायालय में स्थानातंरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 29/04/19 को उपस्थित हों। सदस्य पेशी दिनांक 29/4/19 अनुविभागीय अधिकारी करैरा जिला शिवपुरी	